



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2706/JH/4/2024-ESDW

दिनांक: 19.07.2024

सेवा में,

श्री बादल उरांव,
पिता-स्व. डोम्बा उरांव,
ग्राम-न्यू गार्डन सीरमटोली,
पोस्ट-चुटिया, जिला-रांची,
झारखंड
फोन नं. 9304863774

विषय: गरीब आदिवासी की रैयती भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने और उक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने के संबंध में श्री बादल उरांव, पिता-स्व. डोम्बा उरांव, ग्राम-न्यू गार्डन सीरमटोली, पोस्ट-चुटिया, जिला-रांची, झारखंड का दिनांक 19.02.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 26.07.2024 को अप्राह्न 05:00 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।